

केन्द्रीय विद्यालय में कक्षा १ में प्रवेश के संबंध में
वांछित दस्तावेज व आवश्यक निर्देश

कक्षा-1 के लिए 31 मार्च तक न्यूनतम आयु 6 वर्ष और अधिकतम आयु 08 वर्ष होनी चाहिए।

वांछित दस्तावेज:

1. Certificate of proof of age in the form of a birth certificate. **जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आयु का प्रमाण।**
2. A certificate that the child belongs to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/ EWS/ OBC (Non-Creamy Layer)/BPL. **प्रमाण पत्र कि बच्चा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर)/बीपीएल से संबंधित है।**
3. A certificate from the **civil surgeon/ rehabilitation centre** in case of the child with Special Needs (**CwSN**). **विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन) के मामले में सिविल सर्जन/पुनर्वास केंद्र से प्रमाण पत्र।**
4. A **service certificate** showing the **number of transfers** during the preceding **7 years** duly signed and stamped by the **head of office** bearing the **name, designation** and other relevant particulars in block letters. **पिछले 7 वर्षों के दौरान स्थानान्तरणों की संख्या दर्शाने वाला एक सेवा प्रमाण पत्र, जिस पर कार्यालय प्रमुख द्वारा बड़े अक्षरों में नाम, पदनाम और अन्य प्रासंगिक विवरणों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित और मोहर लगाई गई हो।**
5. Valid Proof of Residence. **निवास का वैध प्रमाण।**

आवश्यक निर्देश:

1. Mere registration will not confer a right to admission. **मात्र पंजीकरण से प्रवेश का अधिकार नहीं मिलेगा।**
2. Incomplete application forms shall normally be rejected. In case vacancies remain, Principal may allow completion of the form later at his/her discretion. **अपूर्ण आवेदन पत्र सामान्यतः अस्वीकार कर दिये जायेंगे। यदि रिक्तियां रह जाती हैं, तो प्राचार्य अपने विवेक से फॉर्म को बाद में पूरा करने की अनुमति दे सकते हैं।**
3. Admission secured on the basis of any **wrong certificate** shall be **cancelled** by the Principal forthwith and no appeal against such action of the Principal shall be entertained. **किसी भी गलत प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त प्रवेश को प्राचार्य द्वारा तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और प्राचार्य की ऐसी कार्रवाई के खिलाफ कोई अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।**
4. In respect of Category I, II, III and IV admissions the **veracity of the Certificates** submitted by the parents in proof of their **service** must be invariably verified by the Principal. **श्रेणी I, II, III और IV प्रवेश के संबंध में माता-पिता द्वारा उनकी सेवा के प्रमाण में प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्रों की सत्यता को प्रिंसिपल द्वारा अनिवार्य रूप से सत्यापित किया जाएगा।**
5. Registration forms complete in all respects and accompanied by all required documents must be submitted/sent to the Vidyalaya within the prescribed date as per notification of the KVS. **पंजीकरण फॉर्म सभी प्रकार से पूर्ण करके तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ के.वि.सं. की अधिसूचना के अनुसार निर्धारित तिथि के भीतर विद्यालय में जमा किया/भेजा जाना चाहिए।**
6. Self-Attested copies of the prescribed documents would be required to be submitted along with the application form for registration. **पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ निर्धारित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।**
7. Names of the child and their parents should be written in the admission form in English as well as in Hindi. **प्रवेश फार्म में बच्चे और उसके माता-पिता के नाम अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी लिखे जाने चाहिए।**
8. Employees who are entitled to fee reimbursement facility in their departments cannot claim RTE concession. **जिन कर्मचारियों को अपने विभागों में शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त है, वे आर.टी.ई. रियायत का दावा नहीं कर सकते।**